


Not Press
~~30/6/2022~~
30/6/2022

उप खण्ड अधिकारी

30⁶/₂₂ पत्रावली में वकीलवादी ने प्रार्थना-
पत्र पेश करने पर आज पत्रावली
पेश हुई। वकीलवादी ने प्रार्थना-पत्र
कर वादीगण एवं प्रतिवादीओं के
मध्य राजीनामा होने से वादफा को खारिज
करने का निवेदन किया और पत्रावली
में Not Press किया।

अतः वादपत्र अन्तरगत धारा 28, 183, 184
रा.का. अधिनियम Not Press के अन्वय पर
खारिज किया जाता है। पत्रावली फौजदारी
दोकर नम्बर से कम दोकर शामिल उपलब्ध है।


उपखण्ड अधिकारी
विजौलियाँ जि. भीलवाडा